बिहार सरकार
(पर्यावरण एवं वन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

संख्या–FC-390

प्रेषक,

ए०के०पाण्डेय, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार।

सेवा में,

मेसर्स अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड,
501– 502 आशियाना टावर्स,
एग्जीविशन रोड, पटना–800 001

पटना 15, दिनांक– 02/06/2017

विषय– पटना जिलान्तर्गत SH- 4 फतुहॉ– दनियाँवा पथ पर मेसर्स अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड के द्वारा उपरी पुल अर्थात् ROB निर्माण करने के क्रम में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कुल–0.77 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/18288/2016/1005 दिनांक 30.12.2016 एवं इस कार्यालय का पत्रांक FC- 34 दिनांक 20.01.2017 तथा आपका आवेदन पत्र दिनांक शून्य

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र का कृपया स्मरण किया जाय। पटना जिलान्तर्गत SH- 4 फतुहॉ– दनियाँवा पथ के उपर उपरी पुल अर्थात् ROB निर्माण करने के लिए भारत सरकार द्वारा कुल 16 (सोलह) अधिरोपित शर्तों के साथ वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कुल–0.77 हेक्टेयर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है।

2. भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.12.2016 में अंकित शर्त्त संख्या– 02 एवं 03 के अनुपालन हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.77 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि 6.26 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर के दर से कुल रू० 4,82,020/–(चार लाख बेरासी हजार बीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के पत्र में अंकित शर्त्त संख्या– 04 के अनुपालन हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1050 दिनांक 13.05.2017 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल रू० 6,53,879/– (छः लाख तिरपन हजार आठ सौ उन्यासी रुपए) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। (छायाप्रति संलग्न)

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कंडिका 02 एवं 03 पर अंकित राशि को Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in A/C Name CAF Bihar of A/C No. SB01025201 in Corporation Bank CGO, Complex, Phase-1, लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (RTGS/IFSC No. CORP0000371) के खाता में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांस्फर कर जमा कराया जाना है।

उक्त जमा की गयी राशि की सूचना इस कार्यालय को संबंधित बैंक द्वारा प्रदत्त challan no. एवं दिनांक की मूलप्रति के साथ दी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कंडिका 01 से 16 तक में अधिरोपित शेष शर्त्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कंडिकावार समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय में यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉंची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई आरंभ की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(ए०के०पाण्डेय) 01/06/11

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।